

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-2114/9-1-14-648 सा/13
लखनऊ दिनांक 26 मई, 2014
कार्यालय-ज्ञाप

राज्य वित्त आयोग, तेरहवें वित्त आयोग, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना तथा आदर्श नगर योजना आदि की स्वीकृति का अधिकार सम्बन्धित निकाय के अध्यक्ष को दिये जाने तथा जिला प्रशासन का हस्तक्षेप बन्द किये जाने पर विचार करने हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नवत पदाधिकारी होंगे:-

1. श्री श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ.प्र. शासन।
अध्यक्ष
2. नगर आयुक्त,
नगर निगम लखनऊ,
लखनऊ।
सदस्य
3. नगर आयुक्त,
नगर निगम बरेली,
बरेली।
सदस्य

2. समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी संस्तुति यथाशीघ्र शासन को प्रस्तुत करेगी।

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।
23/5/2014

संख्या व दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग को सचिव/विशेष सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
6. वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित उक्त कार्यालय-ज्ञाप को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।